न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 5022–दो/2015 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 6–6–2015 पारित ब्दारा अपर तहसीलदार वृत्त खुटार तहसील व जिला सिंगरोली – प्रकरण कमांक 58 अ–3/2013–14

1– श्रीमती बंसती पत्नि स्व.लालमन शाह
2– रामलल्लू 3– रामानुज
4– मायाप्रसाद पुत्रगण स्व.लालमन शाह
5– रामकरन 6– रामसुभग
दोंनों पुत्रगण राजमन शाह
सभी ग्राम सितूलखुर्द तहसील व जिला सिंगरोली ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– दलसुखलाल 2– प्यारेलाल 3– ओमप्रकाश
तीनों पुत्रगण रामकेश शाह
4– रामकेश पुत्र लालमन शाह
5– कौशिल्यादेवी पुत्री रामकया पत्नि अंबिकाप्रसाद
सभी ग्राम धनहरा तहसील व जिला सिंगरोली
6– गुलाबचन्द्र पुत्र रामकया शाह
7– पानपती पुत्री रामकया पत्नि राजेशकुमार
8– बुदुन शाह 9– सुभाव शाह 10– चन्दे शाह
सभी पुत्रगण रामकया शाह
11– पियंका पुत्री रामकया शाह
12– मु.बसामति पत्नि रामकया शहाय
क–5 को छोड़कर सभी ग्राम सितूलखुर्द तहसील सिंगरोली
13– सोनमती पुत्री राजमन शाह पत्नि रामविलास शाह
ग्राम छतौली तहसील व जिला सिंगरोली
14– रूपबन्ती पुत्री राजमन शाह पत्नि रामाधार शाह
ग्राम हर्रवाह तहसील व जिला सिंगरोली

15- गुला देवी पुत्री राजमन पत्नि रामनरेश शाह
ग्राम खम्हरिया तहसील व जिला सिंगरोली

16- मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री प्रमोद मिश्रा)

आ दे श

(आज दिनांक 11 - 8-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर तहसीलदार वृत्त खुटार तहसील व जिला सिंगरोली के प्र0क0 58 अ-3/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 6-6-2015 के विरूद्ध म0प्र0भू राज0 संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम सितूल खुर्द की भूमि सर्वे कमांक 1032 रकबा 1.49 है. के सभी बटा नंबरों का मौके की स्थिति अनुसार नक्शा तरमीम करने हेतु आवेदन आने पर तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 151-अ-3/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 21-8-2008 से नक्शा तरमीम किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर सिंगरोली के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर ने प्रकरण कमांक 29/10-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-8-20 से निगरानी स्वीकार कर तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 21-8-08 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग ने प्रकरण कमांक 75/11-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 2-1-13 से निगरानी अमान्य की।

अपर तहसीलदार वृत्त खुटार तहसील व जिला सिंगरोली के न्यायालय में प्रकरण वापिस होने पर राजस्व निरीक्षक से स्थल निरीक्षण कराते हुये स्थल के मान से जॉच प्रतिवेदन मांगा गया। राजस्व निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के वाद पक्षकारों को सुनकर अपर तहसीलदार वृत्त खुटार तहसील व जिला सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 58 अ-3/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 6-6-2015 से राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 से प्रदर्स पी-4 तक के बटा नंबरों की

नक्शे में तरमीम की पुष्टि की। अपर तहसीलदार वृत्त खुटार तहसील व जिला सिंगरोली के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ आवेदक के अभिभाषक के अभिभाषक ने शीघ्र सुनवाई का आवेदन देकर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 52 के आवेदन तक तर्क प्रस्तुत किये गये। जब उनसे अपेक्षा की गई कि वह यह बतायें कि राजस्व मण्डल में नक्शा तरमीम आदेश के विरूद्ध निगरानी विचार योग्य है अथवा नहीं । आवेदकगण के अभिभाषक ने मात्र संहिता, 1959 की धारा 52 के आवेदन का निराकरण कर स्थगन दिये जाने की मांग रखी।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर पर स्थिति यह है कि निगरानी मेमो के साथ प्रस्तुत संहिता की धारा 52 के आवेदन पर न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 26-4-17 से प्रथम दृष्टया निगरानी सुनवाई योग्य मान्य की गई है किन्तु निगरानी में आये संपूर्ण तथ्यों के अवलोकन पर परिलक्षित है कि अपर तहसीलदार वृत्त खुटार तहसील व जिला सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 58 अ-3/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 6-6-2015 से नक्शा तरमीम को अंतिमता प्रदान की है जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत है एंव संहिता की धारा 68 सहपठित 70 के अंर्गत राजस्व अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश अपील योग्य है - निगरानी योग्य नहीं है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में गुणदोष पर विचार करने का औचित्य नहीं है। आवेदकगण चाहें , इस आदेश की प्रति सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी प्रचलन-योग्य न होने से इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर